GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NO.E(MPP)94/3/14. New Delhi, dated 22.8.1994.

The General Managers,
All Indian Railways including Production Units.

Sub:- Selection of instructors/trainers for the Railway Training Centres-- Constitution of Selection Boards.

.....

The question of delegation of powers for constituting the Selection Boards for screening/selection of trainers has been under consideration of the Board for sometime.

It has been decided that the Selection Board for the screening/selection of trainers/instructors may be constituted under the orders of Principal HODs/controlling HODs and if there is any amendment to the panels of trainers, the same can be done at the level of GM without referring the case to the Railway Board.

The other terms and conditions as contained in Board's letters No.E(MPP)/86/13/2 dated 28.3.89 and No.E(O)III/94 PL/5 dated 20.5.94 will remain unchanged.

This disposes off CPO(IR)/NR's letter No.E-387/134/Screening/ZTS/EIB dated 11.5.94.

Receipt of the letter may please be acknowledged.

(Pani Ram)
Jt. Dir. (RRB), Railway Board.

No.E(MPP)94/3/14. New Delhi, dated 23.8.1994.

Copy forwarded for information:-

1. General Secy./NFIR, New Delhi (40 spares)
2. General Secy./AIRF, New Delhi (40 spares)
3. Members of National Council/Departmental Council.

K. Subramanian
for Secretary, Railway Board.

Copy to:-

Adv.(MS), Dir.(MPP), E(NG)I, E(NG)II, E(Trg.), E(P&A)I, E(P&A)II, F(E)II and PC-IV.

.....

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0 ई/एम•पी•पी/94/3/14 नई दिल्ली, दि• 28/8/94

महाप्रबंधक,
सभी अखिल भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाइयाँ

विषय:- रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुदेशकों/प्रशिक्षक के चयन हेतू प्रवरण बोर्ड का गठन ।

रेलवे बोर्ड में कुछ समय से विचाराधीन प्रश्न कि क्या रेलवे को शक्तियों का प्रत्यायोजन दे कर प्रवरण बोर्ड गठित कर रेलवे में प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए अनुदेशकों/प्रशिक्षकों का चयन किया जाऐ ।

अब निर्णय लिया गया है कि रेलवे प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुदेशकों/प्रशिक्षकों के चयन के लिए प्रवरण बोर्ड का गठन प्रिंसिपल विभागाध्यक्ष/ नियंत्रण विभागाध्यक्ष के आदेश पर किया जाऐ । यदि चयन उपरान्त प्रशिक्षकों की नामिका में कुछ संशोधन करना हो तो इसे विचारार्थ हेतू रेलवे बोर्ड न भेजा जाये तथा इस में संशोधन महाप्रबंधक सतर पर कर लिया जाऐ ।

इस कार्यालय के पत्र सं0 ई. एम•पी•पी/86/13/2 दि• 28-3-94 तथा सं0 ई/ओ/111/94/पी•एल/15 दि•20-5-94 में निर्बंधों और शर्तों में कोइ बदलाव नहीं है ।

सी•पी•ओ(आइ•आर) उत्तर रेलवे के पत्र सं0 इ/387/134/छाप. बीन/जेड•टी•सी/ इ•आइ•बी दि• 11-5-94 का निपटान समझ जाऐ ।

इस पत्र की पावती शीघ्र इस कार्यालय को भेजें ।

(पनी राम)
संयुक्त निदेशक / आर•आर•बी
रेलवे बोर्ड

सं 0 ई/ एस·पी·पी/94/3/14 नई दिल्ली, दि·23 8·94

प्रतिलिपि सूचना हेतू :-

1· महा सचिव/ एन·एफ ·आई·आर/नई दिल्ली (40 अतिरिक्त)
2· महा सचिव/ ऐ·आई·आर·एफ/नई दिल्ली (40 अतिरिक्त)

3· विभागिये परिषाद/ राष्ट्रीय परिषाद के संदस्यों हेतू ।

के· रेड्डी नारायण
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि

सलाहकार (एम·एस), निदेशक (एम·पी·पी), ई (एन·जी) I, ई (एन·जी) II,
ई (प्रशिक्षण), ई· (पी·एण्ड·ए) I, ई (पी·एण्ड·ए) II, एफ (ई) II
तथा पी·सी- 4 को·